159
10/8/12

खण्ड– 5 संख्या– 7,8

नवम्

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

भाग –1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 1986 ई०

सोमवार, दिनांक 01 सितम्बर 1986 ई०

2. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत भेराल प्रखण्ड में अभीतक सरकार द्वारा बालिका उच्च विद्यालय नहीं खोला गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत गढ़वा अनुमंडल के भेराल प्रखण्ड मुख्यालय में एक बालिका उच्च विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. केवल भेराल ही नहीं राज्य में अभी भी 55 ऐसे प्रखण्ड हैं जहाँ कन्या उच्च विद्यालय नहीं है । अतः इन बचे हुए प्रखण्डों में कन्या उच्च विद्यालय खोलने पर यथा समय विचार किया जा सकेगा ।

पेंशन का भुगतान :

क-31. श्री गोरख राम : क्या मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीन नगर थाना के हेमनपुर ग्राम के निवासी राम महतो को वृद्धावस्था पेंशन अभीतक नहीं मिला है जबकि उनकी अवस्था 70 साल की है एवं भरण-पोषण करने वाले भी कोई नहीं है तथा 1981-82 में ही प्रखण्ड कार्यालय में आवेदन दिया था ;

2. यदि उपरोक्त खण्ड (1) के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन्हें शीघ्र पेंशन दिलाना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग : 1. श्री रामशरण महतो नाम का आदमी हेमनपुर ग्राम पंचायत में नहीं है बल्कि

हेमनपुर ग्राम पंचायत के मोगलचक ग्राम में श्री राम शरण महतो नाम के एक आदमी हैं जो वृद्धा पेंशन पाने के योग्य नहीं हैं। चूँकि श्री महतो की वार्षिक आय 600 रु० से अधिक है।

2. खण्ड (1) के उत्तर के आलोक में इसका प्रश्न नहीं उठता है।

संचिका का निष्पादन :

खा-2. श्री जगदानन्द सिंह : क्या मंत्री, खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि सरकारी आदेशानुसार किसी संचिका का निष्पादन तीन दिनों के भीतर करने का निदेश है ;

2. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अंचल तरैया के अंचलाधिकारी ने पत्रांक 1071, दिनांक 18 नवम्बर 1983 द्वारा आपूर्त्ति कार्यालय, छपरा से अनुरोध किया है कि प्रखण्ड कर्मचारियों के कठिनाईयों को ध्यान में रख; उनके द्वारा गठित सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति (निबंधन संख्या-3, दिनांक 5 जुलाई 1983 के नाम खाद्य एवं अन्य उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण का अनुज्ञप्ति जारी किया जाय जिसका निष्पादन अंचल अधिकारी के पुनः पत्रांक 358, दिनांक 20 मई 1983 तथा कर्मचारियों के निरन्तर स्मार के पश्चात् भी अबतक नहीं हुआ है;

3. क्या यह बात सही है कि पूर्व सारण समाहर्त्ता श्री जे०एस० बरारा ने तरैया प्रखण्ड के निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त समिति के गठन तथा चालू करने के संबंध में उनके लिखित मन्तव्य के पश्चात् कर्मचारियों के हित में अंचलाधिकारी तरैया द्वारा उपर्युक्त आवश्यक